पत्रांक–02 / न०वि० / स्था०व्य० / जला०सा०आ०–109 / 2018– 74

झारखंड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
झारखण्ड, रांची।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रांची, दिनांक 09/07/18

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय अंतर्गत जलापूर्ति तथा साफ–सफाई मद में उपबंधित राशि से राज्य के 11 नगर पंचायत एवं 01 अधिसूचित क्षेत्र समिति को कुल 2,50,72,799/- रु० (दो करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार सात सौ निन्यानवे रुपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना व्यय अंतर्गत जलापूर्ति तथा साफ–सफाई मद में उपबंधित राशि से राज्य के 11 नगर पंचायत एवं 01 अधिसूचित क्षेत्र समिति को कुल **2,50,72,799/- रु० (दो करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार सात सौ निन्यानवे रुपये)** मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

क्र०	नगर पंचायत/ अ.क्षे.स का नाम	कुल आवंटित राशि	कोषागार/उप कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	कोडरमा	16,87,396	कोडरमा	कार्यपालक पदाधिकारी
2	डोमचांच	12,84,877	कोडरमा	उपायुक्त, कोडरमा
3	बुण्डू	12,62,626	राँची	कार्यपालक पदाधिकारी
4	खूँटी	18,56,408	खूँटी	कार्यपालक पदाधिकारी
5	बासुकीनाथ	11,67,718	दुमका	कार्यपालक पदाधिकारी
6	राजमहल	5,48,707	राजमहल	कार्यपालक पदाधिकारी
7	बरहरवा	5,63,448	साहेबगंज	कार्यपालक पदाधिकारी
8	जामताड़ा	11,60,427	जामताड़ा	कार्यपालक पदाधिकारी
9	चाकुलिया	10,35,444	घाटशीला	कार्यपालक पदाधिकारी
10	सरायकेला	6,80,595	सरायकेला	कार्यपालक पदाधिकारी
11	हुसैनाबाद	10,90,728	पलामू	कार्यपालक पदाधिकारी
12	जमशेदपुर	1,27,34,425	जमशेदपुर	विशेष पदाधिकारी
	कुलः–	**2,50,72,799**	**(दो करोड़ पचास लाख बहत्तर हजार सात सौ निन्यानवे रुपये)**	

2. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन स्थापना व्यय–मुख्यशीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई–उप मुख्य शीर्ष–02–मल जल तथा सफाई–लघुशीर्ष–193–नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता–उप शीर्ष–05–पानी तथा मल–जल सफाई के लिए नगर पंचायतों एवं अ.क्षे.स. को सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)–विपत्र कोड–**48S221502193050679** के अंतर्गत उपबंधित राशि 400.00 लाख रु० से की जायगी।

3. स्वीकृत अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तालिका के स्तंभ–v में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी तालिका के स्तंभ–iv में उल्लेखित संबंधित कोषागार से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि आवंटन के 15 दिनों के अंदर राशि की निकासी सुनिश्चित करते हुए विभाग को सूचित करेंगे।

4. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561/वि० दि०–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5(iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में TC Form-60 में प्रस्तुत किया जायगा।

Arun/D/VINAY JI/S.O.(Mal-Jal Saf Safai 18-19)-3

6. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०	निकाय का नाम	स्वी०संख्या/तिथि	निकासी की गई राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
1	कोडरमा	39/19.05.16	12,85,253	12,85,253
2	डोमचांच	राशि आवंटित नहीं		
3	बुण्डू	39/19.05.16	9,56,984	9,56,984
4	खूँटी	387/22.03.17	13,97,219	13,97,219
5	बासुकीनाथ	294/10.01.17	8,89,288	8,89,288
6	राजमहल	294/10.01.17	3,91,760	3,91,760
7	बरहरवा	राशि आवंटित नहीं		
8	जामताड़ा	39/19.05.16	8,61,356	8,61,356
9	चाकुलिया	249/10.01.17	7,86,527	7,86,527
10	सरायकेला	39/19.05.16	5,10,603	5,10,603
11	हुसैनाबाद	387/22.03.17	8,06,746	8,06,746
12	जमशेदपुर	39/19.05.16	88,12,479	88,12,479

7. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग शहरी क्षेत्रों में चापाकल मरम्मति/जलापूर्ति तथा साफ–सफाई के लिए किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/ पंजियों की जांच–पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति प्राप्त है।

11. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि०, दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–02/न०वि०/स्था०व्यय०/जला०सा०आ०–109/2018–74 राँची, दि०–09/07/18

प्रतिलिपि–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित सभी उपायुक्त/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) एवं स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सभी निकाय के अध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Arun/D/VINAY JI/S.O.(Mal-Jal Saf-safai 18-19)-4